न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 10/24 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2024/57

उनवान

1. श्रीराम आयु 52 साल पुत्र चिरमोली।
2. रामभरोसी आयु 42 साल पुत्र चिरमोली।
3. गोरधन आयु 39 साल पुत्र चिरमोली।
   सभी जाति गूजर निवासी मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. अमर कौर आयु 56 साल पत्नि मौहर सिंह जाति गूजर निवासी भीतरवाडी कस्बा बयाना तहसील बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

2. देवी सिंह पुत्र प्रभू। } जाति गूजर निवासी मुर्रकी तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. सौमोती पत्नि प्रभू। }
4. तहसीलदार साहब तहसील बयाना वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बयाना दि0 30.04.2024 प्र.सं. 123/18 उनवानी अमन कौर बनाम देवी सिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, वकील अपीलांट।
2. श्री धनीराम पोषवाल, वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक–30.09.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। अतः आये दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ

न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री करते हुये तहसीलदार बयाना से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने जवाब दावा दिया है जिसमें अपीलाण्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी में निहित हिस्से को 5 लाख रूपये में धनतेरस के दिन सन् 2016 में 1.25 लाख प्रति बीघा की दर से सौदा कर 5 लाख रूपये में ले लिया तथा हिस्सा हमें सुपुर्द कर दिया। उसी दिन से विवादित आराजी में अपीलाण्ट का कब्जा है। रैस्पो0 का विवादित आराजी में कोई कब्जा नहीं है। पीडब्ल्यू 1 अमरकौर के बयान में यह है कि मेरा पति सन् 2013 में मरा था तब से ये जोत बो रहे हैं। पहले 2 साल भेज देते थे अब नहीं दे रहे। श्रीराम ही इसे जोत बो रहा है। पीडब्ल्यू 2 भम्मल के बयान में भी अपीलाण्ट का ही विवादित आराजी पर कब्जा बताया है। इस प्रकार गवाहों के बयानो से विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त सिद्ध है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में अपीलाण्ट का कब्जा ना मानने एवं अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि यदि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी बाबत् 5 लाख रूपये दिये हैं तो उन्हें इस तथ्य बाबत् सिविल कोर्ट में जाना चाहिये था। सभी गवाह विवादित आराजी को आधे बाटे पर लेना कथन करते हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी का विभाजन नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिये ग़लत तथ्य बता रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्य की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट विवादित आराजी में निहित हिस्से को 5 लाख रूपये में धनतेरस के दिन सन् 2016 में 1.25 लाख प्रति बीघा की दर से सौदा कर 5 लाख रूपये में लेना बताते हुये विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताते हैं। यदि उन्होनें विवादित आराजी को क्रय कर लिया था तो उनके द्वारा विवादित आराजी का इकरारनामा/वयनामा क्यों तस्दीक नहीं कराया, समझ से परे हैं। इस प्रकार उक्त तथ्य बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं पहुॅचता है, बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन सारहीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय में हुये बयना/जिरह में भी अपीलाण्ट को विवादित आराजी बटाई/भेज में देना कथन किया है। इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य आदि की विस्तार से विवेचना की जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हमारे स्तर पर

हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर